Dr.Raman Kumar Thakur
Assistant professor (Guest)
Department of Economics ,
D.B.College, jaynagar, Madhubani,
L.N.M.U.Darbhanga.

Class:-B.A.part-1(General & Subsidiary)

Date:- 16 May 2020

* कृषि (ग्रामीण) वित्त या साख
(Agricultural (Rural)Credit)

→कृषि साख, वह साख है जिसके अंतर्गत कृषि कार्यों को पूर्ण करने में उसकी आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में कृषि साख या बैंकिंग से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने से है।
भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को तीन प्रकार के ऋणों द्वारा पूरा किया जाता है:-

1). अल्पकालीन ऋणो के अंतर्गत खेती बारी व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 15 माह से भी कम समय के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है .बीज उर्वरक तथा पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन ऋण की मांग की जाती है।

2). मध्यकालीन ऋणों के अंतर्गत औजार व बैल खरीदने, कृषि प्रणाली में सुधार करने व जमीन में सुधार करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है .इसकी अवधि 15 महीने से 5 वर्ष तक की होती है.

3). दीर्घकालीन ऋणों के अंतर्गत भूमि खरीदने, भूमि पर स्थाई सुधार कराने, पुराने ऋणों का भुगतान करने तथा महंगे कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5 वर्ष से अधिक समयावधि के ऋणों को सम्मिलित किया जाता है।

भारत में किसान अपनी उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दो प्रकार के स्रोतों से ऋण प्राप्त करता है:-
a) गैर- संस्थानात्मक स्रोत तथा संस्थानात्मक स्रोत.
गैर- संस्थानात्मक स्रोतों में साहूकार, व्यापारी, एवं भू -स्वामी आदि को सम्मिलित किया जाता है.
जबकि संस्थानात्मक स्रोतों में सरकार ,सहकारी समितियों तथा वाणिज्यिक बैंकों आदि को सम्मिलित किया जाता है।
कृषि वित्त की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था की है। सरकार भू - सुधार ऋण अधिनियम 1883 के अंतर्गत तथा कृषक ऋण अधिनियम, 1884 के

अधीन अल्पकालीन ऋण बाढ़, सूखा, फसलो, पशुओं की बीमारियों आदि के समय पर बीज ,कृषि यंत्र, हल ,बैल के लिए तकावी ऋण दिए जाते हैं।